बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० संक्षिप्त टिप्पणी

समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना का प्रारम्भ 2 अक्टूबर, 1975 को पूरे भारत वर्ष में बच्चों के सवांगीण विकास एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया। प्रदेश में वर्ष 1975 में 3 विकास खण्डों में गर्भवती/धात्री माताओं एवं बच्चों आदि को कुपोषण से बचाने के लिये, उनके समन्वित विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से यह परियोजना प्रारम्भ की गयी। प्रदेश के 897 परियोजनाओं में 1,66,073 आंगनवाड़ी केन्द तथा 22186 मिनी केंद्र स्वीकृत हं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0–6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा सेवायें प्रदान की जा रही हं। आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम बच्चों के पोषण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के लिए एक नोडल कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मुख्यतः स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी विभिन्न घटकों–वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, शालापूर्व शिक्षा, पोषण
जांच एवं सन्दर्भन सेवाओं पर केन्द्रित है।

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की सेवायें

1.अनुपूरक पोषाहार
2.स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
3.स्वास्थ्य जांच
4.पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
5.स्कूल पूर्व शिक्षा
6.निर्देशन एवं संदर्भन सेवायें

कार्यक्रम के मुख्य उददेश्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य

1.बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।
2.06 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना।
3.मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण एवं स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करना।
4.बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करना।
5.उचित समुदाय शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमताओं का विकास करना, जिससे वे बच्चों के स्वास्थ्य,और उचित निर्णय ले सकें और देखभाल कर सकें।
उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु 500 से 1000 की आबादी पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में छः आवश्यक सेवाओं का प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी

1.06 माह से 03 वर्ष के शत–प्रतिशत बच्चे
2.03 वर्ष से 06 वर्ष के शत–प्रतिशत बच्चें

3.शत प्रतिशत गर्भवती एवं धात्री महिलयों

4.तीन किशोरी बालिकायें

कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के उक्तवत् श्रेणी के बच्चों, महिलाओं तथा बालिकाओं को लाभ पहंचाया जाता है।

परियोजनाओं से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निकट भविष्य में शत–प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन होने पर पोषाहार के लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत् होना अनुमानित है :–

श्रेणीवार लाभार्थी	अनुमानित संख्या (लाख में)
06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चें	110.17
03 वर्ष से06 वर्ष आयु के बच्चें	75.45
गर्भवती/धात्री महिलाएं	47.00
03 किशोरी बालिकाएं (सबला के अंतर्गत)	20.82
कुल योग	**253.64**